

खसरा नं. - 298/179 ग्राम :- बीड़ खातीपुरा, क्वींस रोड,
वैशाली नगर, तहसील - जयपुर, जिला - जयपुर, राजस्थान



1. राजस्थान यू. बी.के.लापुरा, तह, जगपुर के या. नं. 298/179 कानून, 1.8339 हैदरपुर, कुल कित्ता 01 कुरुवा कानून 1.8339 हैदर. मूला का 80% आकरा संख्या 1.8339/2012/JDA/2024-25/103859 दिनांक 22.02.2025 के द्वारा पूर्ण की गयी है।
2. योजना की मूला में रा.सू. अधिनियम की धारा 90-ए की कार्यवाही प्रचिपत अधिकारी द्वारा एवं नीके प्र प्रमोशिकरण पदवी एवं तसरीफात द्वारा किया गया है।
3. योजना का मूला-उपयोगा मारदा पला शाखा अनुसारा मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार आवाराई व मारदा विकास योजना 2025 के अनुसार आवाराई व मूला-उपयोगा विकासविषय (सड़क की चौड़ाई का 15 गुना या प्रमथ मुखखो या उरसेक के) तसरीफात आवाराई विषयक है व योजना विकासविषय योजना-04 के अनुसार आवाराई मूला मूला-उपयोगा आवाराई दर्शित है एवं योजना विकासविषय योजना-04 की 48 नींदर नीकी सड़क प्रर स्थित है, जिसके अनुसार यासायिक (सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुना या प्रमथ मुखखो या उरसेक के) तसरीफात आवाराई दर्शित है तथा आवाराई मूला मूला विकासविषय योजना-04 की 48 नींदर सड़क से प्रमातित है।
4. योजना "कैनास एरीस्टी" का अनुमोदन बीटीसी(एनपी) की 380वी बैकव दिनांक 25.03.2025 एवं एलेखडा संख्या 02 व बी.पी.सी की 333वी बैकव दिनांक 30.04.2025 के अतिरिक्त एलेखडा संख्या- 01 द्वारा किया गया है।
5. प्रमनात योजना में प्रमातित मुखखो/पुटुकर विकासविषय मूला-एवं 48 नींदर सड़क के मया प्रमातित 12 नींदर सड़क को आवेदक द्वारा सड़क होइ नियुक्ता समर्पणपाना प्रस्तुत किया गया है एवं चउत भाग का आवेदक को मविषय में किती भी प्राय का मुआजजा/मूला का वकैय देय नहीं होगा।
6. प्राय सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 03_09.2021 के अनुसार प्रमनात योजना में प्रमातित पुटुकर विकासविषय एवं आवाराई मूला मुखखो 100 नींदर के दायरे में पस्थित होने के क्रम में संबंधित विभाग से उक्त मुखखो होइ एलासी प्ररा अकर के पथवा होी 100 नींदर के दायरे में प्रमातित मुखखो की लोनीडीय कर की जावेगी। इसी क्रम में उक्त योजना में 500 नींदर तक के दायरे में प्रमातित मुखखो एवं प्रा मजिसे से अधिक के निर्माण होइ संबंधित विभाग से अनामत प्रमाण प्रा प्रात किया जावेगा।
7. योजना में पुटुकर विषय सारविक के प्राधान प्रमाण के आदेशा निर्माण 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एन.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नं.02 दिनांक 25.11.2021 के अनुसार देय होगे।
8. योजना में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आर.के के समतुल्य प्रात ली गयी है।
9. योजना मांनिचर टांनशिफा पीलिसी 2010 के अनुसार तैयार किया गया है।
10. प्रमातित विकास के मुखखो प्र पैरामेनीति (जमिनि विभिन 2020 के अनुसार देय होवेगी।

(SUNIL KUMAR)
T.D.R
(ZONE -07)

(AJAY GOYAL)
D.T.P.
(ZONE -07)

(HEMANT KUMAR)
D.C.
(ZONE -07)

5/10/24
PREET GUPTA
Addl. Chief Town Planner
B.P.C. (L.B.)
apc(11)

जयपुर विकास प्राधिकरण